सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 16.04.2024

युवक की हत्या करने वाले 10,000/- रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.02.2024 को वादी विजय पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी पर्वतपुरा, इकदिल, इटावा ने थाना इकदिल पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 27.02.2024 को वादी के भतीजे सनी को गांव का ही श्याम सुन्दर उर्फ टूण्डे अपने साथ ले गया और उसकी हत्या करके शव को खेत मे फेंक दिया। तहरीर के आधार पर थाना इकदिल पर **मु0अ0स0 55/2024 धारा 302 भादवि** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त श्यामसुन्दर उर्फ टूण्डे की गिरफ्तारी हेतु 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 16.04.2024 को थाना इकदिल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम पर्वतपुरा मे युवक की हत्या करने वाला अभियुक्त कहीं जाने की फिराक में यमुना ओवर ब्रिज के ऊपर खडा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना इकदिल पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त श्यामसुन्दर उर्फ टुण्डे को यमुना ओवर ब्रिज से समय करीब 7.20 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि दिनांक 25.02.2024 को मैने गांव के ही सनी पुत्र स्व0 महेश की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.श्यामसुन्दर उर्फ टुण्डे पुत्र रमेश चन्द्र निवासी ग्राम पर्वतपुरा थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 55/2024 धारा 302 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा।

पुलिस टीमः

निरी0 श्री भीमसेन पौनिया प्रभारी थाना इकदिल, उ0नि0 अजय कुमार, हे0का0 कमल किशोर, का0 अमित कुमार, का0 राजकुमार, चालक का0 दीपक कुमार।